सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

4 भाद्र, 1947 (श०)

संख्या - 409 राँची, मंगलवार, 26 अगस्त, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

8 जुलाई, 2025

संख्या-5/आरोप-1-16/2023-31763 (HRMS)--श्री बाल किशोर महतो, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-438/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के विरूद्ध राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-458, दिनांक 07.02.2023 के माध्यम से उपायुक्त, प0 सिंहभूम, चाईबासा के पत्रांक-176, दिनांक 26.12.2022 द्वारा आरोप-पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया। आरोप पत्र में श्री महतो के विरूद्ध अवैध तरीके से नामांतरण करने, नामांतरण वाद को पहले अस्वीकृत करने एवं बाद में उसे स्वीकृत करने, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 का उल्लंघन, नामांतरण अधिनियम/ नियम का उल्लंघन करने, अपर न्यायालय/उच्चाधिकारी के निदेश का अनुपालन ससमय नहीं करने, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छारिता संबंधी कुल-18 आरोप प्रतिवेदित किया गया ।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-1353, दिनांक 03.03.2023 द्वारा श्री महतो से स्पष्टीकरण की माँग की गई। श्री महतो के पत्रांक-694/प0 दिनांक 27.05.2023 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया ।

श्री महतो के विरूद्ध आरोप पत्र में गठित आरोप के लिए विभागीय संकल्प सं०-22404(HRMS), दिनांक 18.07.2023 द्वारा श्री महतो के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई तथा अधिसूचना सं०-24891(HRMS), दिनांक 07.11.2023 द्वारा उनको निलंबित किया गया। निलंबन से मुक्त करने संबंधी श्री महतो से प्राप्त अभ्यावेदन एवं मामले के समीक्षोपरांत विभागीय अधिसूचना सं0-26458(HRMS), दिनांक 26.07.2024 द्वारा इनको निलंबन मुक्त किया गया ।

विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर अपने पत्रांक-346, दिनांक 24.04.2025 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा आरोपी पदाधिकारी के बचाव बयान एवं उपस्थापन पदाधिकारी के मंतव्य के आलोक में आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध आरोप पत्र में गठित एक भी आरोप को प्रमाणित नहीं किया गया ।

श्री महतो के विरूद्ध आरोप पत्र में गठित आरोप, विभागीय कार्यवाही के दौरान उनके द्वारा समर्पित बचाव बयान एवं विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गई ।

अतः समीक्षोपरांत, विभागीय जाँच पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री बाल किशोर महतो, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-438/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को आरोप मुक्त किया जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री बाल किशोर महतो, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

Sr No.	**Employee Name** **G.P.F. No.**	**Decision of the Competent authority**
1	**2**	**3**
1	BAL KISHORE MAHTO JHK/JAS/217	श्री बाल किशोर महतो, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-438/20), तत्कालीन अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को आरोप मुक्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनल प्रतीक मिंज,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
जीपीएफ संख्या:PTS/VET/646

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 409 - 50